न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,छोटीसादडी जिला– प्रतापगढ –राज0
पीठासीन अधिकारी – विनोद कुमार मल्होत्रा , आर.ए.एस.

श्री रामदास पिता प्यारेदास जाति– वैरागी निवासी– भरभडिया तहसील– नीमच – मध्यप्रदेश
––प्रार्थी / अपीलान्ट

––बनाम ––

1– श्रीमति बसन्तीबाई पत्नि मॉगूदास जाति– वैरागी निवासी–गोमाना
2– श्री ग्राम विकास अधिकारी महोदय , ग्राम पंचायत गोमाना प.सं –छोटीसादडी
3– श्री भूमिधारी तहसीलदार महोदय , छोटीसादडी – राज0
–– विपक्षी / रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1632 निर्णय दिनांक 20–6–2014 ग्राम– गोमाना ग्राम पंचायत – गोमाना

प्रकरण संख्या 8 / 2020 निर्णय दिनांक 2–11–2020

निर्णय

प्रार्थी / अपीलान्ट ने एक अपील इस न्यायालय में इस आशय की पेश की है कि ग्राम– गोमाना पह0 गोमाना में आराजी नम्बर 644 रकबा 0–03 है0 , आराजी नं 1038 रकबा 1–01 है0 , आराजी नं 1038 / 2133 रकबा 0–03 है0 , कुल किता– 3 कुल रकबा 1–07 है0 भूमि श्री मॉगूदास पिता उँकारदास वैरागी निवासी–गोमाना में नाम से दर्ज रेकॉर्ड थी ! उक्त मॉगूदास द्वारा अपने जीवनकाल में ही दिनांक 12–12–2012 को प्रार्थी /अपीलान्ट रामदास पिता प्यारेदास वैरागी निवासी–भरभडिया तहसील– नीमच – मध्यप्रदेश के नाम से एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित किया जिसमें विपक्षीया नं –1 भी सहमत थी ! जिसकी प्रति संलग्न की है ! तथा उसके बाद मॉगूदास की दिनांक 27–2–2013 को मृत्यु हो गई ! उसके बाद उक्त आराजियात सेवन से विपक्षीया नं–1 के नाम दर्ज हो गई ! जिससे असन्तुष्ट होकर प्रार्थी / अपीलान्ट ने उक्त अपील निम्न तथ्यो पर पेश की है–

1– यह कि प्रार्थी /अपीलान्ट द्वारा मॉगूदास पिता उँकारदास वैरागी निवासी–गोमाना की बखूबी सेवा चाकरी की तथा ग्राम– गोमाना में पक्का मकान निर्माण कार्य भी किया , जिसमें प्रार्थी अपीलान्ट व मॉगूदास दोनों के परिवार साथ–साथ निवासरत रहे है ! तथा मॉगूदास के कोई आस औलाद नही होने से उन्होने प्रार्थी / अपीलान्ट को एक पुत्र की भॉति रखा तथा सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर मॉगूदास द्वारा दिनांक 12–12–2012 को एक रजिस्टर्ड वसीयत–पत्र प्रार्थी / अपीलान्ट के पक्ष में सब रजिस्ट्रार कार्यालय ,छोटीसादडी में निष्पादित किया तथा जिसमें विपक्षीया नं–1 बसन्तीबाई जो कि मॉगूदास की पत्नि थी , भी सहमत थी , तथा सहमतिस्वरूप हस्ताक्षर / निशानी वसीयत–पत्र की कर रखी है , वसीयत–पत्र दोनों पति –पत्नि द्वारा गवाहों की उपस्थिति में पढ सुनकर समझकर निष्पादित किया गया था !

2– यह कि खातेदार मॉगूदास पिता उँकारदास वैरागी निवासी– गोमाना की मृत्यु दिनांक 27–2–2013 को हो गई तथा उसका सारा कियाकर्म प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा किया गया था , जिसकी शोक पत्रिका की प्रति संलग्न की है !

3– यह कि प्रार्थी/अपीलान्ट मॉगूदास के जीवनकाल में ही उक्त आराजियात की देखभाल करता था तथा फसल आदि भी प्राप्त करता था तथा दोनों पति –पत्नि की सेवा चाकरी करता रहा है ! तथा खातेदार मॉगूदास पिता उँकारदास वैरागी निवासी– गोमाना की अन्तिम ईच्छा थी कि उसकी मृत्यु उपरान्त उसकी आराजियात प्रार्थी/अपीलान्ट के नाम पर आये ! इसी को मध्ये नजर रखते हुए उसके द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत–पत्र निष्पादित किया था !

4– यह कि प्रार्थी /अपीलान्ट एक भोले स्वभाव का एवं कम पढा लिखा व्यक्ति है , तथा कानून नही जानता है जिस कारण वह मॉगूदास की मृत्यु उपरान्त पटवार हल्का – गोमाना के पास नही जा सका तथा सेवन से अपनी वसीयत भी नही बता सका था , जिससे पटवार हल्का द्वारा ग्राम पंचायत में मॉगूदास की मृत्यु हो जाने से उसकी पत्नि बसन्तीबाई के नाम से नामान्तरकण खोल दिया गया तथा दिनांक 20–6–2014 को विपक्षी संख्या –2 ग्राम पंचायत गोमाना द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया ! जो कानून खारिज होने योग्य है !

5– यह कि प्रार्थी/अपीलान्ट को बाद में जानकारी होने से प्रार्थी /अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार साहब विपक्षी संख्या – 3 को दिनांक 17–9–2019 को नामान्तरकरण हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया तथा कार्यवाही की ! लेकिन विपक्षी संख्या – 3 द्वारा कहा गया कि ग्राम पंचायत के नामान्तरकरण की अपील न्यायालय में पेश करो !

6– यह कि प्रार्थी/अपीलान्ट के प्रार्थना–पत्र पेश करने का कारण दिनांक 27–2–2013 को जब मॉगूदास की मृत्यु हुई तथा ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण दिनांक 20–6–2014 को खोले जाने के बाद एवं प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा विपक्षी संख्या–3 के समक्ष नामान्तरकरण हेतु प्रार्थना–पत्र पेश करने के बाद उत्पन्न होकर निरन्तर चालू है तथा प्रति दिवस पैदा हो रहा है ! तथा अपील अन्दर मयाद पेश है तथा फिर भी कानूनी विवाद न हो इसके लिए धारा 5 मानूनी मियाद का प्रार्थना–पत्र अलग से पेश किया जा रहा है !

7– यह कि प्रार्थी/अपीलान्ट की जानकारी से एवं नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने दिनांक 27–2–2020 से जानकारी होने से अपील अन्दर अवधि पेश है ! तथा नामान्तरकरण संख्या 1632 निर्णय दिनांक 20–6–2014 की सत्यप्रतिलिपि व वर्तमान जमाबन्दी की सत्यप्रतिलिपि पेश की है !

कि उक्त आशय की अपील प्रार्थी /अपीलान्ट की ओर न्यायालय में पेश की गई , जो दर्ज रजिस्टर की गई तथा विपक्षी/रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी कर तलब किया गया ,जो न्यायालय में हाजिर नही हुए ! न्यायालय मे बार बार आवाजे लगाई गई, विपक्षीगणों की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ अतएव एक तरफा कार्यवाही की गई ! प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा साक्षी वादी में प्रार्थी के बयान करवाये गये एवं शपथ–पत्र दिया गया जो शामिल पत्रावली है !

प्रार्थी अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा मॉगूदास के नाम की पुरानी जमाबन्दी की नकले पेश की तथा आराजी का स्वअर्जित होना बताया गया है तथा तहसीलदार छोटीसादडी द्वारा पटवार हल्का– गोमाना द्वारा मॅगवाई गई जॉच रिपोर्ट दिनांक 12–12–2019 की प्रति भी पेश की गई जो शामिल पत्रावली है व अधिवक्ता ने बताया कि मात्र प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा पटवार हल्का के पास मॉगूदास की मृत्यु हो जाने के बाद वसीयत के नामान्तरकरण हेतु प्रार्थना–पत्र पेश नही किया जिससे विरासत से उक्त भूमि विपक्षीया नं –3 बसन्तीबाई के नाम दर्ज हो गई ! अतएव अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण निरस्त किया जावे व प्रार्थी अपीलान्ट के नाम रजिस्टर्ड वसीयत–पत्र के आधार पर भूमि दर्ज की जावे !

मैने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में प्रस्तुत रजिस्टर्ड वसीयत की प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2014 – 2017 तथा साक्ष्य व बयानों के आधार पर प्रार्थी/अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है ! ग्राम– गोमाना पह0 गोमाना का नामान्तरकरण संख्या 1632 निर्णय दिनांक 20–6–2014 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार छोटीसादडी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम –गोमाना पह0 गोमाना स्थित आराजी नम्बर 1038 रकबा 1–01 है0 , आराजी नं 1038/2133 रकबा 0–03 है0 , आराजी नं 644 रकबा 0–03 है0 कुल किता–3 कुल रकबा 1–07 है0 में बसन्तीबाई पत्नि स्व0 मॉगूदास बैरागी सा0 देह खातेदार के बजाय बसन्तीबाई पत्नि मॉगूदास बैरागी निवासी–गोमाना 1/2 रामदास पिता प्यारेदास वैरागी निवासी– भरभडिया तह0 नीमच के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया जावे उक्त अनुसार नवीन नामान्तरकरण दर्ज कर राजस्व रेकॉर्ड मं अमल दरामद करे ! पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो !

अतएव यह निर्णय आज दिनांक 2–11–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया !

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादडी